संख्या कुरुक्ड





सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र

नवीनीकरण संख्या 1062/2019-2020

फाइल संख्या

F-18693

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि

कुरू ऊँ जन कल्याण संस्थान।

कोरऊऊ धनपतगंज तहसील सदर जनपद-सुलतानपुर।

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण – पत्र संख्या

725/2004-05

दिनांक

09/09/2004

को दिनांक

09/09/2019

से पांच वर्ष की अवधि

के लिये नवीकृत किया गया है।

1000

रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक

11/09/2019

सोसाइटी के रिजर्स्ट्रार

उत्तर प्रदश



Scanned by TapScanner

कुरू-ॐ जन कल्याण संस्थान कोरॐ पोस्ट धनपतगंज, तहसील सदर, जिला सुलतानपुर (30प्र0) की प्रबन्धव

कारणा सामात	का सूचा	10	1
कारिणा समिति व वर्ष 2014 - 2015	1	1867	2
	20 m	1	/

		(1)")		
क्र	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री राजेश कुमार सिंह	ग्राम कोरौं, पोस्ट धनपतगंज	अध्यक्ष	अधिवक्ता
1.	पुत्र श्री देव प्रसाद सिंह	जिला सुलतानपुर। ग्राम कोरौं, पोस्ट धनपतगंज	उपाध्यक्ष	वैज्ञानिक
-2.	श्री बजरंगली सिंह पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद	जिला सुलतानपुर। ग्राम कोरौं, पोस्ट धनपतगंज	प्रबन्धक	नौकरी
3.		िन्य गलनानपर।	उपप्रबन्धक	कृषि
4	श्री नेच बहादर सिंह	जाम कीरी, पोस्ट धनपतगंज जिला सुलतानपुर।	कोषाध्यक्ष	
	पुत्र श्री केशकराजा सिंह प्रो० बी० डी० सिंह लिला पुत्र श्री एम० पी० सिंह लिला श्री राम बहादुर सिंह	जिला लखनॐ।	1	कृषि
	6. श्री राम बहादुर सिंह वर्गा	जिला लखनाजा ग्राम सदरपुर, पोस्ट धनपतगंज जिला बासबंकी। ब्युटलेलान प्र ग्राम व पोस्ट विस्रोवा जिला सुलतानपुर।	सदस्य	कृषि
-	7. श्री नरसिंह नारायपुरी	जिला सुलतानपुर।	सदस्य	गनकार्य
2 -	थत्र श्री राजेश्वर दत्त श्रीमती इन्दिरा देवी पत्नी श्री अखिलेश बहादुर सिंह	ग्राम् व मास्त्र मानावान्य र	सदस	
	9. श्रीमती आशा सिंह पत्नी श्री दिधबल सिंह	ग्राम कोरीं, पोस्ट धनपतगंज जिला सुलतानपुर। ग्राम कोरीं, पोस्ट धनपतगंज	सद	स्य कृषि
	10. श्री राम अवध पत्र श्री अंगनू	जिला सुलतानपुर। ग्राम व पोस्ट भीखरपुर	सद	स्य अधिवक्ता
	11. श्री छवि लाल यादव पुत्र श्री ठाकुरदीन यादव	जिला सुलतानपुर।		

R-R. P.

रमृति– पत्र : कुरू-ऊँ जन कल्याण संस्थान संस्था का नाम : कोरऊँ पोस्ट धनपतगंज तहसील संस्था का पता सदर, जिला सुलतानपुर संस्था का कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश 8-सस्था का उददेश्य :--संस्था के कार्यक्षेत्र में शिक्षण के उत्तरोत्तर विकास हेतु नर्सरी एवं शिशु स्तर से लेकर प्राइमरी जू० हा० स्कूल मां० एवं उच्चतर मा० एवं आवश्यक्ता होने पर स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षा तक के बालक एवं बालिकाओं के स्कूल खोलना व उनका संचालन करना। ग्रामीण विकास के लिये कृषि उत्पादन बढ़ाने, रोजगार पैदा करने, गरीबी उन्मूलन तथा ग्रामीण बच्चों, महिलाओं एवं समाज के सर्वागीण विकास मे सम्बन्धित कार्य करना। ग्रामीण विकास के लिये सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक विकास करना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , पिछड़े वर्ग, महिलाओं एवं गरीब जनता एवं छात्रों के विकास हुतु प्रयास करना। मनोरंजन की दृष्टि से खेलकूद प्रतियोगितायें तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करना। प हिन्द कल्याणकारी कार्यक्रमों में समन्वित योगदान और विकास में सहयोग करना। सरेकारी और गैर सरकारी संस्थाओं और संगठनों के मध्य तारतम्य प्रत्येक रेतेंद्र पर जो विकास के कार्यक्रमों से सीधे अथवा परोक्ष रुप से समर्पित है। र्ज़ंघ शासित राज्य व राज्य की सीमा के भीतर एवं बाहर सभा व सेमिनार हितु अपने प्रतिनिधि भेजना और सहयोग प्रदान करना तथा आयोजन करना। अनुदान, दान शुल्क अनुग्रह राशि को प्राप्त करना और उनको समिति के निर्णय पर खर्च करना। सोसायटी के निर्णय के अधिकार में किसी भी प्रकार की सम्पत्ति का प्रबन्ध विकयं खरीद स्थानान्तरित कराना अन्यथा जो भी निर्णायक हो वह करना। 99- संस्था का उद्देश्य जनता का सामाजिक , सांस्कृतिक, नैतिक, विज्ञान, प्रौद्योगिक, रचनात्मक, कलात्मक, उन्नति का समुचित प्रयास करना तथा उनमें जागरुकता लाना है। १२- रोजगार के प्रशिक्षण कार्यकमों का संचालन एवं आयोजन करना। 93- संस्था के कार्यक्षेत्र में निर्वल एवं कमजोर वर्ग व बिकलांगों के लिये विभिन्न य प्रतिनिंगि परकारी गैर सरकारी योजनाओं का संचालन जो कि बालबाड़ी, आंगनबाड़ी, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र , नारी निकेतन संगीत_गायन, वादन, ड्रामा, नाटक, उप निबन्धक चित्रकला प्रदर्शनी इत्यादि के क्षेत्र में राज्य एवं केन्द्र द्वारा अनुदानित होने मितियां तथा चिटस जाबाद (इ॰ प्र॰) 102/2003 (11-12) 311811 (24) 21/10i STE ST

पर संचालन कर नागरिकों को लाभान्वित करना। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मिहला उत्थान, रोजगार परक कार्यक्रमें का अनुदान के माध्यम से संचालित करना।

98— संस्था ऐसी शाखा बना सकेगी जिससे कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य किया जा सके जिससे कि असहाय, अपंग, अतिवृद्ध बीमार, बच्चे महिलायें एवं निराश्रित लोगों की सेवा की जा सके तथा उन्हें आत्म निर्मर

बनाया जा सके।

9५— बच्चों एवं समाज के विकास हेतु आर्थिक एवं शारीरिक मदद देना तथा सामाजिक नीति के अनुसार अपनी सही प्रक्रिया व्यक्त कर सामाजिक परिवेष को सही दिशा देना।

9६- निर्बल महिलाओं एवं बच्चो के लिये आश्रम स्थल, नारी सुलभ, उद्योग का प्रशिक्षण एवं बाल बिकास केन्द्र की स्थापना करना।

90- देश के महान नेताओं के जीवन चरित्र का प्रचार प्रसार कर उनके आदेशों को बच्चों तक फैलाना जिससे समाज व राष्ट्र का कल्याण हो।

१८— मद्य निषेध, पर्यावरण, परिवार नियोजन एवं भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न तरह के आयोजन एवं कार्यक्रमों का संचालन करना।

9६ – बच्चों के संरक्षण हंतु विकलांग केन्द्र, पुनर्वास केन्द्र, अनाथालय इत्यादि का

२०- रेखा स्था कार्यकमों का प्रचार प्रसार तथा संचालन करना।

महिल्लोओं, पुरुषों एवं बच्चों को कानूनी जानकारी एवं सलाह प्रदान करने हेतु विभिन्न जागरुकता कैम्पो का आयोजन करना।

केन्द्र राज्य सरकार एवं अन्य संस्थाओं द्वारा बच्चों, महिलाओं एवं समाज के विकास हेतु निर्धारित योजनाओं को चलाना एवं उनकी देख-रेख करना।

भेर सरकारी, निधियन, देशी एवं विदेशी, संस्थाओं से राष्ट्रीय हितो को ध्यान में रखते हुये अनुदान एवं सहायता प्राप्त करना।

२४— जल पर्यावरण एवं स्वच्छता कार्यक्रमों का संचालन एवं आयोजन एवं शोधनालय , आवास एवं समुचित केन्द्र इत्यादि का निर्माण करना।

२५— साधरणतयः ऐसे कार्य करना जो उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायतार्थ हो जैसे शिक्षा शिविरो का आयोजन, पुस्तको , पत्रिकाएं, समकालीन पत्र बुलिटेन एवं साहित्य के प्रचार प्रसार वितरण तथा विकय करना एवं चल एवं अचल चित्रों का प्रदर्शन करना।

२६ समस्त उ० प्र० खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं ग्रामोद्योग कमीशन की नीतियों एवं सत्य प्रतिकिमिर्यकमों को उनके निर्धारण रीति के अनुसार अपनाना। उनके प्रशिक्षण केन्द्र खोलकर उद्योग लगाना व संचालन करना, उनके माध्यम से गरीबी उप निवन्धकरेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार एवं उनके सदस्यों का शैक्षिक कैंबाबाद (उ० प्र०)

र सिंह - द्राक्टार

, सामाजिक व आर्थिक विकास करना। उनमें स्वावलम्बन की भावना पैदा कर उन्हे आत्म निर्भर करना।

- २७— महिलाओं एवं आम जनता , कारीगरों एवं निर्धन व्यक्तियों का सामाजिक स्तर उठाने हेतु लघु कुटीर उद्योगों को खोलना तथा ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार व विकास एवं उनको प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना।
- २८- पुस्तकालय, वाचनालय, कीडा केन्द्र, व्यायामशाला, छात्रावास, निःशुल्क चिकित्सालय आदि खोलना एवं उनका संचालन करना।
- २६- संस्थान अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उ० प्र० खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग, लघु एवं कुटीर निदेशालय समस्त राष्टीय कृत बैंक, स्थानीय निकायों, उ०प्र० वित्त निगम एवार्ड, सिडवी, राष्ट्रीय महिला कोष, राज्य समाज कल्याण बोर्ड, केन्द्रीय समाज कल्याण विभाग, उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, उद्योग विभाग , लघु एवं कुटीर उद्योग निदेशालय, सिहत राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के समस्त विभागों अनुभागों, हडकों एवं अन्य वित्तीय पोषक विभागो से योजनायें प्राप्त करना।

३० - संस्था के लिये चल अचल सम्पत्ति भूमि भवन आदि दान पट्टे पर लेना। क्य करना आदि।

३१ आबादी एवं ग्रामोद्योगों मेलों, प्रदशर्नियों एव सेमिनारो का आयोजन करना अभाष्यवा अन्य संस्थानो / विभागो द्वारा आयोजित मेलों प्रदर्शनियों शिविरों मम्मेलनों सेमिनारों में भाग लेना।

खादी एवं ग्रामोद्योगी साहित्य सामग्री का प्रकाशन व मुफत वितरण करना। प्रदूषण रहित समाज की स्थापना हुतु वृक्षारोपण करवाना तथा स्वच्छता अभियान चलाना, इस कार्य के लिये सांस्कृतिका प्रोग्राम चलाना तथा लोगों को जागरुक करना।

- ३४- मात्र शिश् कल्याण केन्द्रों का संचालन करना।
- ३५ जनसंख्या नियन्त्रण हेतु सांस्कृतिक प्रोग्राम चलाना, इसके लिये लोगों को सलाह देना तथा इसके भीषण दुष्परिणामों की जानकारी देना।

३६- जड़ी बूटियों के उत्पादन के लिये प्रोत्साहित करना। GIGIGNOT ELTERY

चप निवन्धक कमं समितियां तथा चिट्स

र्यकारि	रेणी सदस्य पि		पद, व्यवसाय		व्यवसाय	
		पिता / पति	पता	अध्यक्ष	अधिवक्ता	
मांक		श्री देव प्रसाद सिंह	ग्रा०-कोरौं, पो०-धनपतगंज, जिला- सुलतानपुर		वैज्ञानिक	
•	सिंह	श्री द्वारिका प्रसाद	ग्रा०-कोरौं, पो०-धनपतगण,	उपाध्यक्ष		
2.	डा० बजरंगवली सिंह	सिंह	जिला- सुलतानपुर ग्रा०-कोरौं, पो०-धनपतगंज,	प्रबन्धक	कृषि	
3.0	वंश बहादुर सिंह	श्री हनुमान प्रसाद सिंह	जिला- सुलतानपुर	उपप्रबन्धक	कृषि	
	तेज बहादुर सिंह	- Die	ग्रा० व पो०— विसावा, जिला— सुलतानपुर		गृहकार्य	
4.		श्री घनश्याम सिंह	ग्रा०-कोरी, पो०-धनपतगण,	कोषाध्यक्ष		
5.5	श्रीमती सरोज सिंह	Tie Gie	जिला- सुलतानपुर ग्रा०-सदरपुर,पो०-धनपतगंज,	सदस्य	कृषि	
6.	राम बहादुर सिंह		जिला-सुलतानपुर ग्रा० व पो०- भीखरपुर,	सदस्य	कृषि	
7.	नरसिंह नारायण	श्री राजेश्वर दत्त	जिला- सुलतानपुर	सदस्या	गृहकार्य	
	अपाध्याय श्रीमती इन्दिरा	श्री अखिलेश बहादु	र ग्रा० व पो०- विसांवा, जिला- सुलतानपुर		गृहकार्य	
8.	देवी श्रीमती आशा	सिंह श्री दिधवल सिंह	ग्रा०-कोरौं, पो०-धनपतगंज, जिला- सुलतानपुर	सदस्या		
9.	सिंह	श्री अंगनू	ग्रा०-कोरीं, पो०-धनपतगण,	सदस्य	कृषि	
10.	रामअवध	दत श्री ठाकुरदीन या	जिला- सुलतानपुर व ग्रा० व पो०- भीखरपुर,	सदस्य	अधिवक्ता	
	[百] 音 [-	A. 1			जीकरण कराना	
रेश केत्र	हारे हैं - श्लोक व्याप सर्वा	note of the contraction	STATE BY	3 Ru	हस्ताक्षर	Contraction of the second of t

Scanned by TapScanner

नियमावली

9- संस्था का नाम

२- संस्था का पता

स्तार

Bahadury Bih

: कुरु-ऊँ जन कल्याण संस्थान

: कोरऊँ पोस्ट धनपतगंज तहसील

सदर जिला सुलतानपुर

ः सम्पूर्ण उ०प्र०

३— संस्था का कार्यक्षेत्र

४- सदस्यों के वर्ग :--

9— संस्थापक आजीवन सदस्य वे होंगे जिन के द्वारा संस्था का गठन किया जा रहा है।

२— संस्थापक आजीवन सदस्य, जो व्यक्ति एक मुश्त १०००००/— रुपया नगद देगा वह व्यक्ति संरक्षक आजीवन सदस्य होगा किन्तु ऐसे सदस्यों के लिये अध्यक्ष व प्रबन्धक या सचिव की सहमित वांछित होगी।

3— साधारण सदस्य, जो व्यक्ति संस्था का साधारण सभा का सदस्य होना चाहेंगे उन्हे ५०००/— रु० प्रतिमाह अथवा ५००००/— रु० प्रतिवर्ष देय होगा।

सामान्य सदस्य, वे सभी लोग जो २५/- रु० प्रतिमाह अथवा ३००/- रु० प्रति वर्ष देंगें, सामान्य सदस्य होंगे। इन सदस्यों के बच्चों एवं अन्य परिवार जनो को विशेष सलाह के लिये आमंत्रित किया जायेगा।

आरा ४(१) में उल्लिखित आजीवन सदस्यों के अतिरिक्त समस्त सदस्यों का अनुमोदन साधारण सभा से होगा।

तदस्यता की समाप्ति :—
सदस्यों की सदस्यता की समाप्ति , मृत्यु होने, पागल होने, दिवालिया होने, किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक अपराध में दण्डित होने, सदस्यता शुल्क न जमा करने , संस्था की बैठकों मे अनुपस्थित रहने संस्था को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने , सदस्यों के सन्दर्भ में साधारण सभा को अधिकार होगा कि वह अपनें ऐसे सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दे।

संस्था के अंग :-

(अ) साधारण सभा।

(ब) प्रबन्धकारिणी समिति

साधारण सभा :-

गठन :- कालम न०४ में वर्णित सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

सत्य प्रतिनिपि

उप निबन्धक फर्म समितियाँ तथा चिट्स फैजाबाद (उ॰ प्र॰)

Scanned by TapScanner

सूचना अवधि :- साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्यों को कमसे कम १५ दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना ७ दिन पूर्व देना अनिवार्य होगा। बैठकें :- साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में कम से कम एक बार व बिशेष बैठक आवश्यक्तानुसार किसी भी दिन आहुति की जा सकती है। गणपूर्ति: - कुल सदस्य संख्या का २/३ बहुमत कोरम होगा, स्थगित बैठक के लिये कोरम का प्रतिवन्ध न होगा। बार्षिक अधिवेशन की तिथि :-साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के २/३ सदस्यों के बहुमत द्वारा तय की जायेगी। साधारण सभा के कर्तव्य :--प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना। २- संस्था का वार्षिक बजट पास करना। 3- संस्था का वार्षिक रिपीट पास करना। ४- संसोधन प्रकिया २/३ सदस्यों के बहुमत से करना। प्रबन्धकारिणी समिति :-गठन :- साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक, सचिव, * उप-प्रबन्धक उप सचिव , कोषाध्यक्ष तथा सदस्य ६ कुल संख्या ११ होगी। प्रवन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की बैठकें :-तुलना सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को कम से कम ७ दिन पूर्व , विशेष बैठक की सूचना ३ दिन पूर्व देना जरुरी है। कुल सदस्यों का २/३ बहुमत कोरम होगा एक गणपूर्ति :--बार बैठक स्थगित हो जाने पर पुनः बुलायी गयी बैठक के लिये कोरम की आवश्यक्ता नही सत्य प्रति। होगी। उप निबन्धक फर्म सिमितियाँ तथा चिट्स फैजाबाद (हु॰ प्र॰)

वर्ष के अन्त में समस्त आय—व्यय के हिसाब किताव को साधारण सभा में प्रस्तुत करना। बजट तैयार करना तथा उसे साधारण सभा से पास कराना। पक्ष-विपक्ष के वादों की पैरवी करना। समस्त प्रशासनिक अधिकार प्रबन्धक / सचिव में निहित है। कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, निलम्बन, बहाली कार्यकारिणी समिति के पूर्व अनुमति से करना। 90- संस्था के खाते का संचालन अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से करना। 99- दान-अनुदान / सब्सेयरी प्राप्त करने हेतु समस्त लिखापढ़ी अपने हस्ताक्षर से करना। उप-प्रबन्धक / उप-सचिव :-प्रबन्धक / सचिव की अनुपस्थिति में उस में निहित समस्त अधिकारों को उपयोग में लाना। प्रबन्धक / सचिव द्वारा निर्देशित कार्यो को सम्पन्न करना। कोषाध्यक्ष :-आय—व्यय का लेखा—जोखा रखना। अबन्धक / सचिव द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना। अवस्यों को चन्दे की रसीद देना तथा उस से धन प्राप्त करना। * सथा के कार्य को सुचारु रुप से चलाने के लिये ५०० / - रु० तक क्षपन पास रखना। के नियमो एवं विनियमों में संशोधन प्रकिया :--संस्था के नियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के २/३ सदस्यों के बहुमत द्वारा होगा। ११- संस्था का कोष (लेखा व्यवस्था) :--संस्था का समस्त कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा पोस्ट आफिस में संस्था के नाम खाता खोला जायेगा जो अध्यक्ष तथा प्रबन्धक / सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जायेगा। संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण / आडिट :-संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा। 93- संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही (पक्ष- विपक्ष के मुकद्मात) की पैरवी का उत्तरदायित्व संस्था के समस्त पक्ष-विपक्ष के सारे मुकद्मात की पैरवी प्रबन्धक / सचिव या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की या करायी जायेगी। संस्था के अभिलेख :-सद्स्यता रजिस्टर सत्य जाताला उप निबन्द्यक कमं समितियां तथा चिट्स फेजाबाद (उ॰ प्र॰)

२- कार्यवाही रजिस्टर

3- स्टाक रजिस्टर

४- कैश बुक आदि

१५- पूँजी :-

प्रवेष व सदस्यता शुल्क व दान, अनुदान व सब्सेयरी आदि।

१६- व्यय:-

कर्मचारियों के वेतन, मशीन उपकरण, भिम भवन आदि पर व्यय तथा अन्य प्रकार के मिश्रित व्यवस्था।

90- संस्था के विघटन एवं सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही रिजस्ट्रेशन अधिनियम १३ व १४ के अन्तर्गत की जायेगी।

प्रबन्ध कार्यकारिणी सदस्य व्यवसाय पिता/पति पता कमांक नाम अध्यक्ष ग्रा०-कोरौं, श्री देव प्रसाद राजेश कुमार पो०-धनपतगंज, सिंह सिंह जिला- सुलतानपुर 2 B Rinh वैज्ञानिक उपाध्यक्ष ग्रा०-कोरौं, श्री द्वारिका डा० बजरंगबली पो०-धनपतगंज, प्रसाद सिंह कि क्षिण निवन्त्रक सिंह जिला- सुलतानपुर कृषि प्रबन्धक ग्रा०-कोरीं, श्री हनुमान बेश बहादुर पो०-धनपतगंज, प्रसाद सिंह 100 जिला- सुलतानपुर कृषि उपप्रबन्धक ग्रा० व पो०-गृहकार्य राष्ट्रिक श्री केशवराज तेज बहादुर विसांवा, जिला-सिंह सुलतानपुर कोषाध्यक्ष ग्रा०-कोरीं, श्री घनश्याम श्रीमती सरोज

पो०-धनपतगंज,

जिला- सुलतानपुर

प्रम सिवन्धक पर्म समितियाँ तथा चिट्स फैजाबाद (उ॰ प्र॰)

सिंह

सिंह